न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 116/2024

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण:

1. ईश्वरसिंह पुत्र गणपतसिंह
2. भगवानसिंह पुत्र गणपतसिंह
3. रामसिंह पुत्र मंगलसिंह
4. गोविन्दसिंह पुत्र मंगलसिंह
5. सरदारसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी दाखां तहसील सिणधरी

विप्रार्थीगण:

1. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. दाखां
2. अति. ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी पंचायत समिति सिणधरी
3. तहसीलदार सिणधरी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955</u>

उपस्थिति–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

3.विप्रार्थी सं. 1 व 2 के प्रतिनिधि उपस्थित। राज.पैरोकार नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 13.08.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1034/1 रकबा 0.4450 हैक्टयर ग्राम दाखां पटवार क्षेत्र दाखां तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवास हेतु ढाणियां, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1781/1627 रकबा 0.6472 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए [illegible] उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक [illegible] में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा[illegible] है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता [illegible] है तथा रास्ते की प्रा[illegible] आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1781/1627 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 02 के तरफ से प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा जवाब प्रस्तुत करते हुए मौका रिपोर्ट का विरोध किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1034/1 रकबा 0.4450 हैक्टयर ग्राम दाखां पटवार क्षेत्र दाखां तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवास हेतु ढाणियां, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1781/1627 रकबा 0.6472 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1781/1627 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में खसरा संख्या 1781/1627 में से रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपनी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित भूमि के नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे में भूमि का आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए नया मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण को [illegible] निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि की ओर से अपने जवाब के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मिथ्या आधारों पर एवं तथ्यों को छुपाते हुऐ पेश किया है जो न्यायिक दृष्टिकोण से पोषित नहीं होने से खारिज लायक है। कि खसरा संख्या 1781/1627 रकबा 0.6427

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:45 IST
Reason: SelfAttested

...खण्ड अधिकारी
Scanned with OKEN Scanner

हैक्टयर भूमि विद्यालय विकास हेतु राजकीय उ.मा.वि. बालिका दांखा को पूर्व में आवंटित हो चुकी है तथा प्रार्थी की मांग के प्रतिकूल बालिका सुरक्षा तथा विद्यालय वातावरण के मद्देनजर रास्ता दिया जाना उपयुक्त नहीं है।ऐसी स्थिति में आत्यन्तिक आवश्यकता के अभाव विधि मान्य नहीं होने से खारिज लायक है। अतः विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थीगण के खेत से जुड़ता हुआ कटाण वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने, से प्रार्थीगण यह आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1034/1 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम कादानाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1781/1627 में से चल रहे रास्ते को कटाण रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। आवेदन के तथ्यों के सन्दर्भ में प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट एवं विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के परस्पर अद्यतन एवं अवलोकन में पाया गया कि मौजा दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1034/1 से सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित खसरा संख्या 1781/1627 की भूमि वर्तमान में खाता संख्या 397 रा.उ.प्रा.वि. बालिका दाखां अति. ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी पं.सं. सिणधरी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों के अनुसार बालिका सुरक्षा तथा विद्यालय वातावरण के दृष्टिकोण से रास्ते के उपयोग हेतु दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। तहसलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अद्यतन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उपरोक्त आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अन्य निकटतम खसरान् की भूमि से अपेक्षित रास्ता की आवश्यकता एवु सुगमता को देखते हुए नये सिरे से प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन विधिविरूद्व होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:56:45 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीशसिंह आशिया.)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner